अपराध आदि – हनुमान आदि क्र.सं. 32/10

क	आज्ञा पत्र	
[illegible].3.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वास्ते बहस दिनांक 20.3.25 को पेश हो।	
20.3.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील रेस्पो. ने बहस हेतु समय चाहा। अवसर दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 3.4.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
3.4.25	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9.4.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर
9.4.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट....[illegible].... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 32/2010

1 रूपाराम (मृतक)
1/1 रामस्वरूप पुत्र स्व. रूपाराम
1/2 सुगनी
1/3 गीता पुत्रियां स्व. रूपाराम
2 मंगलाराम
3 रूघनाथ पुत्रगण स्व. सुण्डाराम
4 शिवप्रसाद पुत्र स्व. भगवानाराम समस्त जाति कहार निवासीगण कहारों की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 हणमान मृत
1/1 रामनाथ पुत्र स्व. हणमान
1/2 मु. चौथी देवी
1/3 मु. मीरा देवी पुत्रियां स्व. हणमान
2 लिछमण मृतक
2/1 गोपाल
2/2 रामूराम
2/3 श्यामलाल पुत्रगण स्व. लिछमणराम
2/4 मु. मंगली पुत्री स्व. लिछमणराम
2/5 श्रीमती केशरी बेवा लिछमणराम
3 शंकरलाल मृतक
3/1 चौथराम
3/2 राधेश्याम
3/3 मदन
3/4 गणेश
3/5 नेमीचन्द
3/6 झूमर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
सीकर
सत्यमेव जयते

3/7 गुलाब पुत्रगण स्व. शंकरलाल
3/8 छोटी
3/9 सरस्वती पुत्रियां स्व. शंकरलाल
3/10 मोहनी बेवा स्व. शंकरलाल समस्त जाति कहार निवासीगण कहारों की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री द्वारा उपखण्ड अधिकारी
सीकर वाद उनवानी हणमान आदि बनाम रूपाराम आदि
वाद संख्या 148/89(07/2003) तारीख फैसला 27.03.2003

उपस्थिति :
1. श्री महेश जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 1/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 148/89(07/2003) में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2003 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने एक वाद उनवानी हणमान आदि बनाम रूपाराम आदि वाद संख्या 148/89(07/2003) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां इस आशय का पेश किया कि ग्राम कहारो की ढाणी तन बाजोर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 486 रकबा 1.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.2 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 रकबा 4.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

रकबा 1.38 हैक्टेयर कुल किता 4, कुल रकबा 7.13 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार अपीलकर्तागण प्रतिवादीगण है। उक्त अपीलकर्तागण के 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वादीगण/रेस्पोडेन्टस को उद्घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय वादीगण/रेस्पोडेन्टस का वाद साबित नहीं मानते हुए दिनांक 24.07.1989 को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिस पर इस न्यायालय द्वारा भी वादीगण/रेस्पोडेन्टस का वाद साबित नहीं मानते हुए दिनांक 08.12.1989 को अपील खारिज कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि कर दी। इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील स्वीकार कर वाद को पुनः गुणावगुण पर सुनवाई करने हेतु विचारण न्यायालय में रिमाण्ड कर दिया, जिस पर विचारण न्यायालय सीकर ने अपनी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 24.07.1989 के विपरित जाकर वादीगण का वाद गैर कानूनी रूप से एकपक्षीय कार्यवाही कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 01.10.2024 से धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जा चुका है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि माननीय राजस्व मण्डल अपने निर्णय दिनांक 27.06.1997 में विचारण न्यायालय को चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित करने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि न्यायालय राजीनामा को यदि नहीं मानते है तो उन्हें पक्षकारों को जवाब दावा प्रस्तुत करने का निर्देश देना चाहिए था। साथ ही अन्य प्रतिवादीगण 5 लगायत 16 को तलब करना चाहिए था, लेकिन विचारण न्यायालय ने तो चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व किसी भी पक्षकार को नोटिस तक जारी नहीं किया। इस तथ्य की पुष्टि विचारण न्यायालय की आदेश पंजिकाओं से भली भांति प्रमाणित है। साथ ही वाद में प्रस्तुत संशोधित शीर्षक दिनांक 31.11.2002 में प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 16 को पक्षकार तक संयोजित नही कर विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित में दिये गये दिशा निर्देशों को पूर्णतया उल्लंघन कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मनमाने रूप से गैर कानूनी निर्णय पारित किया है। कथित राजीनामा अन्यथा रूप से अपीलकर्तागण को दबाव में लेकर प्रस्तुत कराया जाना इस बात से भी प्रमाणित है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा कथित राजीनामा प्रस्तुति के 3–4 दिन के बाद ही एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण यानि अपीलकर्तागण 1 ता 4 कथित राजीनामें से मुकर रहे है। वाद को शीघ्र डिक्री किया जावें। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई भी मान्य राजस्व प्रलेख व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिसके आधार वाद डिक्री किया जा सके। पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.1989 में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों का किया गया विवेचन से भी यही साबित होता है कि वादीगण ने ऐसा कोई मान्य राजस्व प्रलेख अपने वाद को साबित करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया। फिर भी विचारण न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करने के लिए उन्हीं प्रलेखों को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो कानूनन किसी भी दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नही है, खारिज करने योग्य है। वादीगण न्यायालय में स्वच्छ नियत व स्वच्छ हाथों से नहीं आये है बल्कि न्यायालय को मुगालता व धोखा देकर चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कराया है इस तथ्य की पुष्टि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किये गये निर्णय में न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पोडेन्ट के प्रलेखों का किये गये विवेचन से भलीभांति होती है, जिसमें विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ विवादित भूमियों के नये पुराने खसरा नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल तक प्रस्तुत नहीं किया है। विचारण न्यायालयों द्वारा स्पष्ट उल्लेख करने पर भी कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं, जो इसलिए प्रस्तुत नहीं किया कि विवादित भूमियों के अलावा भी पक्षकारों की अन्य काश्त भूमियां अवस्थित है जो वादीगण के कब्जे काश्त हक अधिकार में थी, जो तथ्य उजागर होने पर वादीगण का वाद स्वतः निरस्त हो जाता है। इस तथ्य को छिपाकर वादीगण ने न्यायालय को मुगालता व धोखा देकर वाद डिक्री करवाया है जो किसी भी दृष्टि से कानून स्थिर रहने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां पक्षकारों की पैतृक भूमियां है। खसरा गिरदावरियों में वादीगण की काश्त दर्ज है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गवाहों के शपथ पत्र से वाद कथन की ताईद होती है। वादीगण ने विचारण न्यायालय में लगान की रसीदे भी प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। राजीनामें के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। राजीनामें से पारित डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर राजीनामें के मुताबिक वाद स्वीकार कर डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा चुका है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 27.06.1997 में विचारण न्यायालय को चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित करने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिये है कि न्यायालय राजीनामे को यदि नहीं मानता है तो उन्हें पक्षकारों को जवाब दावा प्रस्तुत करने का निर्देश देना चाहिए था। साथ ही अन्य प्रतिवादीगण 5 लगायत 16 को तलब करना चाहिए था, लेकिन विचारण न्यायालय ने तो चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व किसी भी पक्षकार को नोटिस तक जारी नहीं किया। इस तथ्य की पुष्टि विचारण न्यायालय की आदेश पंजिकाओं से भली भांति प्रमाणित है। साथ ही वाद में प्रस्तुत संशोधित शीर्षक दिनांक 31.11.2002 में प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 16 को पक्षकार तक संयोजित नही कर विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित में दिये गये दिशा निर्देशों को पूर्णतया उल्लंघन कर मनमाने रूप से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई भी मान्य राजस्व प्रलेख व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिसके आधार वाद डिक्री किया जा सके। पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.1989 में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों का किया गया विवेचन से भी यही साबित होता है कि वादीगण ने ऐसा कोई मान्य राजस्व प्रलेख

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपने वाद को साबित करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया। फिर भी विचारण न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करने के लिए उन्हीं प्रलेखों को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो कानूनन किसी भी दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना में विधिक प्रक्रिया अनुसार तलबी, साक्ष्य, सुनवाई किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारों का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर